

**THE RAJASTHAN FOREST (AMENDMENT) BILL, 2014
(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**

A

Bill

further to amend the Rajasthan Forest Act, 1953.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Forest (Amendment) Act, 2014.

(2) It shall come into force on and from the date of its first publication in the Rajasthan Gazette.

2. Amendment of section 26, Rajasthan Act No. 13 of 1953.- For the existing sub-section (1) of section 26 of the Rajasthan Forest Act, 1953 (Act No. 13 of 1953), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(1) Any person who, in a reserved forest,-

- (a) trespasses, or pastures cattle, or permits cattle to trespass;
- (b) causes any damage by negligence in felling, uprooting, converting any tree or cutting or dragging any timber; or
- (c) fells, uproots, girdles, lops, taps, or burns any tree, or part thereof, or strips off the bark or leaves from, or otherwise damages, the same;

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both, in addition to such compensation for damage done to the forest as the convicting court may direct to be paid.

(1-A) Any person who-

- (a) makes any fresh clearing prohibited by section 5; or

(b) sets fire to a reserved forest, or in contravention of any rules made by the State Government in this behalf, kindles any fire or leaves any fire burning in such manner, as to endanger such a forest, or

who, in a reserved forest,-

(c) kindles, keeps or carries any fire except at such seasons, as the Forest Officer may notify in this behalf;

(d) quarries stone, burns lime or charcoal, or collects, subjects to any manufacturing process, or removes any forest produce;

(e) clears or breaks up any land for cultivation or any other purpose;

(f) in contravention of any rules made in this behalf by the State Government hunts, shoots, fishes, poisons water or sets traps or snares; or

(g) indulges in any act detrimental to the very existence of the forest,

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to twenty five thousand rupees or with both, in addition to such compensation for damage done to the forest as the convicting court may direct to be paid.”.

3. Amendment of section 33, Rajasthan Act No. 13 of 1953.- For the existing sub-section (1) of section 33 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(1) Any person who-

(a) fells, girdles, lops, taps or burns any tree reserved under section 30, or strips off the bark or leaves from, or otherwise damages, any such tree; or

- (b) fells any tree or drags any timber so as to damage any tree reserved as aforesaid; or
- (c) permits cattle to damage any such tree,

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

(1-A) Any person who-

- (a) contrary to any prohibition under section 30, quarries any stone, or burns any lime or charcoal or collects, subjects to any manufacturing process, or removes any forest produce; or
- (b) contrary to the prohibition under section 30, breaks up or clears for cultivation or any other purpose, any land in any protected forest; or
- (c) sets fire to such forest or kindles a fire without taking all reasonable precautions to prevent its spreading to any tree reserved under section 30, whether standing, fallen or felled or to any closed portion of such forest; or
- (d) leaves burning any fire kindled by him in the vicinity of any such tree or closed portion; or
- (e) infringes any rule made under section 32,

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to twenty five thousand rupees or with both.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sections 26 and 33 of the Rajasthan Forest Act, 1953 prohibit certain acts in reserved and protected forest respectively and provide for penalty for contravention of the provisions. Before the enactment of the Rajasthan Forest (Amendment) Act, 2012, the maximum fine provided for under the aforesaid sections was rupees five hundred. This maximum limit was raised by the Rajasthan Forest (Amendment) Act, 2012 upto rupees twenty five thousand.

The Cabinet Sub-committee of the State Government considered these provisions and it was found that certain offences which have lesser gravity and could be committed without definite object or intention have also been covered by the aforesaid penalty of rupees twenty five thousand. The severity of penalty is causing hardship to the local people, specially the tribal people who traditionally depend for their sustenance on minor forest produces. Therefore, Cabinet Sub-committee recommended that maximum penalty for such offences may be reduced to rupees five hundred.

The State Government has considered and accepted the recommendation of the Cabinet Sub-committee. Accordingly sections 26 and 33 of principal Act are proposed to be amended suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

वसुन्धरा राजे,
Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN FOREST
ACT, 1953
(Act No. 13 of 1953)**

XX XX XX XX XX

- 26. Acts prohibited in such forests.-** (1) Any person who-
- (a) makes any fresh clearing prohibited by section 5; or
 - (b) sets fire to a reserved forest, or in contravention of any rules made by the State Government in this behalf, kindles any fire, or leaves any fire burning in such manner, as to endanger such a forest, or who, in a reserve forest;
 - (c) kindles, keeps or carries any fire except at such seasons, as the Forest Officer may notify in this behalf;
 - (d) trespasses, or pastures cattle, or permits cattle to trespass;
 - (e) causes any damage by negligence in felling, uprooting, converting any tree or cutting or dragging any timber;
 - (f) fells, uproots, girdles, lops, taps, or burns any tree, or part thereof or strips off the bark or leaves from or otherwise damages, the same;
 - (g) quarries stone, burns lime or charcoal, or collects, subject to any manufacturing process, or removes any forest produce;
 - (h) clears or breaks up any land for cultivation or any other purpose; or
 - (i) in contravention of any rules made in this behalf by the State Government hunts, shoots, fishes, poisons water or sets traps or snares; or
 - (j) indulges in any act detrimental to the very existence of the forest;

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to twenty five

thousand rupees or with both, in addition to such compensation for damage done to the forest as the convicting court may direct to be paid.

(2) to (3) xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

33. Penalties for acts in contravention of notification under section 30 or rules under section 32.- (1) Any person who commits any of the following offences, namely:-

- (a) fells, girdles, lops, taps or burns any tree reserved under section 30, or strips off the bark or leaves from or otherwise damages, any such tree;
- (b) contrary to any prohibition under section 30, quarries any stone, or burns any lime or charcoal or collects, subjects to any manufacturing process, or removes any forest produce;
- (c) contrary to the prohibition under section 30, breaks up or clears for cultivation or any other purpose, any land in any protected forest;
- (d) sets fire to such forest or kindles a fire without taking all reasonable precautions to prevent its spreading to any tree reserved under section 30, whether standing, fallen or felled or to any closed portion of such forest;
- (e) leaves burning any fire kindled by him in the vicinity of any such tree or closed portion;
- (f) fells any tree or drags any timber so as to damage any tree reserved as aforesaid;
- (g) permits cattle to damage any such tree;
- (h) infringes any rule made under section 32;

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to twenty five thousand rupees or with both.

(2) xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

(अधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2014 का विधेयक सं. 7

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2014

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान वन अधिनियम, 1953 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह राजस्थान राजपत्र में इसके प्रथम प्रकाशन की तारीख को और से प्रवृत्त होगा।

2. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 26 का संशोधन.- राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 13) जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 26 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) जो कोई व्यक्ति, आरक्षित वन में,-

(क) अतिचार करेगा या पशु चराएगा या पशुओं को अतिचार करने देगा;

(ख) किसी वृक्ष को गिराने, उखाड़ने, संपरिवर्तित करने या किसी इमारती लकड़ी को काटने या घसीटने में उपेक्षा द्वारा कोई नुकसान पहुंचायेगा; या

(ग) किसी वृक्ष या उसके भाग को गिरायेगा, उखाड़ेगा, परितक्षण करेगा, छांटेगा, छेकेगा या उसे जलायेगा या उसकी छाल उतारेगा या पत्तियां तोड़ेगा, या उसे अन्यथा नुकसान पहुंचायेगा;

वह वन को नुकसान पहुंचाने के कारण ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त जिसका संदाय किया जाना सिद्धदोष करने वाला न्यायालय निर्दिष्ट करे, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(1-क) जो कोई व्यक्ति-

- (क) धारा 5 के अधीन प्रतिषिद्ध नई कटाई-सफाई करेगा; या
- (ख) आरक्षित वन में आग लगायेगा, या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किन्हीं नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐसी रीति से आग जलायेगा या आग को जलते छोड़ देगा जिससे ऐसा वन संकटापन्न हो जाये, या

जो, आरक्षित वन में,-

- (ग) ऐसी ऋतुओं में के सिवाय, जिन्हें वन अधिकारी इस निमित्त अधिसूचित करे, कोई आग जलायेगा, रखेगा या ले जायेगा;
- (घ) पत्थर की खुदाई करेगा, चूना या लकड़ी का कोयला फूँकेगा या किसी वन-उपज का संग्रह करेगा, उससे कोई विनिर्माण प्रक्रिया करेगा या उसे हटायेगा;
- (ङ) खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी भूमि को साफ करेगा या तोड़ेगा;
- (च) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के उल्लंघन में शिकार खेलेगा, गोली चलाएगा, मछली पकड़ेगा, जल विषैला करेगा या पाश या जाल बिछायेगा; या
- (छ) वन के अस्तित्व के प्रति अहितकर किसी भी कार्य में लिप्त होगा,

वह वन को नुकसान पहुंचाने के कारण ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त जिसका संदाय किया जाना सिद्धदोष करने वाला न्यायालय निर्दिष्ट करे, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।"

3. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 33 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 33 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) जो कोई व्यक्ति-

- (क) धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष को गिरायेगा, परितक्षण करेगा, छांटेगा, छेकेगा, या जलायेगा या ऐसे किसी वृक्ष की छाल उतारेगा या पत्तियां तोड़ेगा या उसे अन्यथा नुकसान पहुंचायेगा; या
- (ख) किसी वृक्ष को इस प्रकार गिरायेगा या किसी इमारती लकड़ी को इस प्रकार खींचेगा कि यथापूर्वोक्त रूप में आरक्षित किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाता है; या
- (ग) पशुओं को ऐसे किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने देगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(1-क) जो कोई व्यक्ति-

- (क) धारा 30 के अधीन वाले किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल पत्थर की खुदाई करेगा या चूने या लकड़ी का कोयला फूँकेगा, या किसी वन उपज का संग्रहण करेगा, उससे कोई विनिर्माण प्रक्रिया चलाएगा, या उसे हटायेगा; या
- (ख) किसी संरक्षित वन में, धारा 30 के अधीन वाले किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल, किसी भूमि को खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ेगा या साफ करेगा; या
- (ग) ऐसे वन को आग लगाएगा, या धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष तक, चाहे वह खड़ा हो, गिर गया हो या गिराया गया हो, या ऐसे वन के बन्द किए गए किसी प्रभाग तक फैल जाने से रोकने के

लिए युक्तियुक्तपूर्ण पूर्वावधानी बरते बिना आग जलाएगा; या

- (घ) ऐसे किसी वृक्ष या बन्द प्रभाग के सामीप्य में अपने द्वारा जलाई गई किसी आग को जलता छोड़ देगा; या
- (ङ) धारा 32 के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का अतिलंघन करेगा,

वह उस अवधि के लिए कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 26 और 33 क्रमशः आरक्षित और संरक्षित वन में कतिपय कार्यों को प्रतिषिद्ध करती हैं और उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति उपबंधित करती हैं। राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम, 2012 के अधिनियमित किये जाने से पूर्व पूर्वोक्त धाराओं के अधीन उपबंधित अधिकतम जुर्माना पांच सौ रुपये था। यह अधिकतम सीमा राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम, 2012 के द्वारा पच्चीस हजार रुपये तक बढ़ा दी गयी थी।

राज्य सरकार की मंत्रिमण्डल उप-समिति ने इन उपबंधों पर विचार किया और यह पाया गया कि कतिपय अपराधों, जिनकी गंभीरता कम है और जो किसी स्पष्ट उद्देश्य या आशय के बिना भी कारित हो सकते हैं, को भी उपरोक्त पच्चीस हजार रुपये की शास्ति के अन्तर्गत ले आया गया है। शास्ति की यह कठोरता स्थानीय लोगों, विशेष रूप से जनजातियों के लोगों, को कठिनाई पैदा कर रही है, जो पारंपरिक रूप से उपजीविका के लिए छोटी वन उपजों पर निर्भर हैं। इसलिए, मंत्रिमण्डल उप-समिति ने सिफारिश की है कि ऐसे अपराधों के लिए अधिकतम शास्ति को कम करके पांच सौ रुपये तक कर दिया जाये।

राज्य सरकार ने मंत्रिमण्डल उप-समिति की सिफारिश पर विचार किया और उसे स्वीकार कर लिया। तदनुसार, मूल अधिनियम की धारा 26 और 33 को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री ।

राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 13) से
लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX

26. ऐसे वनों में प्रतिषिद्ध कार्य.- (1) जो कोई व्यक्ति -

- (क) धारा 5 के अधीन प्रतिषिद्ध नई कटाई-सफाई करेगा; या
- (ख) आरक्षित वन में आग लगाएगा, या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐसी रीति से आग जलाएगा या आग को जलते छोड़ देगा जिससे ऐसा वन संकटापन्न हो जाए,
या जो आरक्षित वन में,-
- (ग) ऐसी ऋतुओं में के सिवाय, जिन्हें वन अधिकारी इस निमित्त अधिसूचित करे, कोई आग जलाएगा, रखेगा या ले जायेगा;
- (घ) अतिचार करेगा या पशु चराएगा या पशुओं को अतिचार करने देगा;
- (ङ) किसी वृक्ष को गिराने, या उखाड़ने, संपरिवर्तित करने या किसी इमारती लकड़ी को काटने या घसीटने में उपेक्षा द्वारा कोई नुकसान पहुंचाएगा;
- (च) किसी वृक्ष या उसके भाग को गिरायेगा, उखाड़ेगा, परितक्षण करेगा, छांटेगा, छेकेगा या उसे जलायेगा या उसकी छाल उतारेगा या पत्तियां तोड़ेगा, या उसे अन्यथा नुकसान पहुंचायेगा;
- (छ) पत्थर की खुदाई करेगा, चूना या लकड़ी का कोयला फूकेगा या किसी वन-उपज का संग्रह करेगा, उससे कोई विनिर्माण प्रक्रिया करेगा या उसे हटाएगा;
- (ज) खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी भूमि को साफ करेगा या तोड़ेगा;
- (झ) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के उल्लंघन में शिकार खेलेगा, गोली चलाएगा,

मछली पकड़ेगा, जल विषैला करेगा या पाश या जाल बिछायेगा; या

(ज) वन के अस्तित्व के प्रति अहितकर किसी भी कार्य में लिप्त होगा;

वह वन को नुकसान पहुंचाने के कारण ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त जिसका संदाय किया जाना सिद्धदोष करने वाला न्यायालय निर्दिष्ट करे, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(2) से (3) XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

33. धारा 30 के अधीन अधिसूचना या धारा 32 के अधीन वाले नियमों के उल्लंघन में किए गए कार्यों के लिए शास्तियां.- (1) जो कोई व्यक्ति निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्:-

(क) धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष को गिराएगा, परितक्षण करेगा, छांटेगा, छेकेगा, या जलाएगा या ऐसे किसी वृक्ष की छाल उतारेगा या पत्तियां तोड़ेगा या उसे अन्यथा नुकसान पहुंचाएगा;

(ख) धारा 30 के अधीन वाले किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल पत्थर की खुदाई करेगा या चूने या लकड़ी का कोयला फूंकेगा, या किसी वन उपज का संग्रहण करेगा, उससे कोई विनिर्माण प्रक्रिया चलाएगा, या उसे हटाएगा;

(ग) किसी संरक्षित वन में, धारा 30 के अधीन वाले किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल, किसी भूमि को खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ेगा या साफ करेगा;

(घ) ऐसे वन को आग लगाएगा, या धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष तक, चाहे वह खड़ा हो, गिर गया हो या गिराया गया हो, या ऐसे वन के बन्द किए गए किसी प्रभाग तक फैल जाने से रोकने के लिए युक्तियुक्त पूर्ण पूर्वावधानी बरते बिना आग जलाएगा;

- (ड) ऐसे किसी वृक्ष या बन्द प्रभाग के सामीप्य में अपने द्वारा जलाई गई किसी आग को जलता छोड़ देगा;
- (च) किसी वृक्ष को इस प्रकार गिराएगा या किसी इमारती लकड़ी को इस प्रकार खींचेगा कि यथापूर्वोक्त रूप में आरक्षित किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाता है;
- (छ) पशुओं को ऐसे किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने देगा;
- (ज) धारा 32 के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का अतिलंघन करेगा;

वह उस अवधि के लिए कारावास से, जो छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)
राजस्थान विधान सभा

राजस्थान वन अधिनियम, 1953 को और संशोधित करने
के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रदीप कुमार शास्त्री,
विशिष्ट सचिव।

(वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 7 of 2014

THE RAJASTHAN FOREST (AMENDMENT) BILL, 2014

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Forest Act, 1953.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRADEEP KUMAR SHASTRY,
Special Secretary.

(Vasundhara Raje, **Minister-Incharge**)